



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052023-245971
CG-DL-E-21052023-245971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2141]
No. 2141]

नई दिल्ली, रविवार, मई 21, 2023/वैशाख 31, 1945
NEW DELHI, SUNDAY, MAY 21, 2023/VAISAKHA 31, 1945

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2023

का.आ. 2235(अ).—भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम, चरण-II (फेम इंडिया, चरण- II) के संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 जून, 2021 के का.आ. 2256(अ) के माध्यम से जारी अधिसूचना के आंशिक आशोधन में निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं जो 01 जून, 2023 से प्रभावी होंगे और 01 जून, 2023 को अथवा इसके पश्चात् पंजीकृत समस्त इलेक्ट्रिक दुपहियों (e-2W) पर अनुप्रयोज्य होंगे:-

- जबकि, उप-पैराग्राफ 20 (i) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :
पैरा 20(i) : इलेक्ट्रिक दुपहियों (e-2W) के लिए, मांग प्रोत्साहन प्रति किलोवाट @10,000/- रुपए की दर से होगा।
- जबकि, उप-पैराग्राफ 26 (i) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :
पैरा 26(i): इलेक्ट्रिक दुपहियों (e-2W) पर प्रोत्साहन की सीमा वाहन के एक्स-फैक्ट्री मूल्य का 15 प्रतिशत होगी।

[फा. सं. 6(02)2019-NAB-II(Auto)(19155)]

डॉ. हनीफ़ कुरैशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2023

S.O. 2235(E).—In partial modification of the Ministry of Heavy Industries notification issued vide S.O.2258(E) dated 11th June, 2021 in respect of Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II (FAME India Phase II), the following amendments are made with effect from 1st June, 2023, and would be applicable to all electric two wheelers (e-2W) registered on or after 1st June, 2023:-

1. Whereas, sub-paragraph 20 (i) will be amended as:

Para 20(i): For electric 2 wheelers (e-2W), demand Incentive will be @ Rs.10,000/- per kWh.

2. Whereas, sub-paragraph 26 (i) will be amended as:

Para 26(i): The cap on incentives for electric 2 wheelers (e-2W) will be 15% of the ex-factory price of vehicles.

[F. No. 6(02)2019-NAB-II(Auto)(19155)]

Dr. HANIF QURESHI, Jt. Secy.